

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

हरज्ञान बनाम धर्मवीर वगै०

तारीख हुक्म	हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज वाद - धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद संख्या 107 वर्ष 2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
15.05.2024	<p>आज यह पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी वास्ते तलबी प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड ए०डी० के नोटिस तलबाने पेश करें। पत्रावली 18-06-2024 को पेश हो।</p> <p>18/6/24 आज पत्रावली पेश हुई!.....उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार वास्ते तलब। में दिनांक 20/7/24 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी, तिजारा</p> <p>30/7/24 आज पत्रावली पेश हुई!.....उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार वास्ते तलब। में दिनांक 08/10/24 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी, तिजारा</p> <p>08/10/24 आज पत्रावली पेश हुई!.....उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार वास्ते तलब। में दिनांक 03/12/24 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी, तिजारा</p> <p>05/12/24 आज पत्रावली पेश हुई!.....उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार वास्ते तलब। में दिनांक 28/2/25 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी, तिजारा</p> <p>28/2/25 आज पत्रावली पेश हुई। आवाजें लगाई गई। घर-घर आवाज लगाने पर वादी/वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। अतः याद अदम हाजरी/अदम पैरवी में जारी किया जाकर, पत्रावली बाद निर्णय सम्बन्धी नम्बर से काम होकर दायित्व दफ्तर हो</p> <p>उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला खैरथल-तिजारा राज०</p>	